10.10.2025—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी ने वादपत्र पेश करे कथन किया है कि चक नम्बर 19 के.एस.पी. के खाता सख्या 79/29 मे वादी को नाम राहुल पुत्र हरीसिह दर्ज हैं जबकि अन्य दस्तावेजो मे सोनुकुमार पुत्र हरीराम दर्ज है इसलिए सहीनाम सोनुकुमार पुत्र हरीराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज किया व तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक एल. आर/25/3336/ दिनांक 16.09.2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि राहुल पुत्र हरीसिह व सोनु कुमार पुत्र हरीराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि मे सोनु कुमार पुत्र हरीराम होने की पुष्टि होती है। सरपंच ग्प्रम पंचायत किशनपुरा दिखनादा द्वारा भी पुष्टि की गई है। अतः वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को दिनैशित किया जाता है। कि चक नम्बर 19 के.एस.पी. के खाता सख्या 79/29 मे दर्ज खातेदार राहुल पुत्र हरीसिह की जगह सोनु कुमार पुत्र हरीराम दर्ज क रनाम दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्टि पुर्ववत रखी जावे। तहसीलदार को पालनार्थ प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली दाखिल दफतर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़